

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. अपील संख्या - 817/2016/जयपुर. | 4. अपील संख्या - 820/2016/जयपुर. |
| 2. अपील संख्या - 818/2016/जयपुर. | 5. अपील संख्या - 821/2016/जयपुर. |
| 3. अपील संख्या - 819/2016/जयपुर. | 6. अपील संख्या - 822/2016/जयपुर. |

मैसर्स इंदिरा स्विच,

एच-14, हवा सड़क, बाईस गोदाम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत-द्वितीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 362 से 367/अपील्स-1/आरवीएटी/जयपुर/2015-16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.02.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित		
		कर	ब्याज	शास्ति
817/2016	2009-10	7,81,421	6,50,815	15,62,842
818/2016	2010-11	17,83,876	12,37,296	35,67,752
819/2016	2011-12	29,98,471	16,62,352	59,96,942
820/2016	2012-13	42,44,604	16,88,847	84,95,208
821/2016	2013-14	53,18,809	14,25,442	1,06,37,618
822/2016	2014-15	22,48,761	3,14,827	44,97,522

लगातार.....2

2. इन सभी अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत द्वितीय, जयपुर द्वारा दिनांक 29.12.2014 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मोबाईल फोन/लेपटॉप/टेबलेट एवं उनकी एसेसरीज की बिक्री पर उनके साथ विक्रय किये जा रहे चार्जर पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा रहा है, जबकि मोबाईल फोन/लेपटॉप/टेबलेट एवं उनकी एसेसरीज वेट अधिनियम की अनुसूची-I to IV एवं अनुसूची-VI में वर्णित वस्तुओं में कहीं पर भी दर्ज नहीं होने के कारण आलौच्य अवधियों में चार्जर को अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर 12.5/14 प्रतिशत से करदेयता होने के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर का अपवंचन/परिवर्जन पाये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत अभियोग बनाकर अभियोग पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा मोबाईल/लेपटॉप के साथ बिक्रीत चार्जर तथा टेबलेट पर कम कर दर से कर के उद्ग्रहण को करापवंचन का कृत्य मानते हुए इस पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि की, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा चार्जर को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-V के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात् चार्जर अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित

"Cellular Telephones" का पार्ट होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलौच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो बैटरी चार्जर विक्रय किये गये हैं, वे पृथक से विक्रय नहीं किये जाकर, मोबाईल फोन की बिक्री करते समय एक पैक के रूप में बिक्री की गयी है, ऐसी स्थिति में वे मोबाईल फोन के पार्ट के रूप में ही विक्रय किये गये हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसेसरी मानते हुए जो करारोपण किया गया है, वह अविधिक है अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अतिरिक्त कर एवं ब्याज को निरस्त करने का अनुरोध किया।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधियों में कम्प्यूटर टेबलेट की बिक्री की गयी है, उन्हें केवल टेबलेट बताते हुए अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित नहीं मानकर अविधिक आदेश पारित करते हुए उस पर अवशिष्ट कर दर 14 प्रतिशत से करारोपण किया गया है जो पूर्णतया विधि के विरुद्ध है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये गये टेबलेट कम्प्यूटर दिनांक 09.03.2015 तक इसी प्रविष्टि में सम्मिलित थे एवं दिनांक 09.03.2015 की अधिसूचना संख्या 2015-200 के जरिये इस प्रविष्टि से हटाकर इसे अनुसूची-VI की प्रविष्टि संख्या 19 में अन्तःस्थापित करते हुए इस पर 8 प्रतिशत की कर दर निश्चित की गयी, इससे स्वतः ही प्रमाणित है कि राज्य सरकार द्वारा टेबलेट कम्प्यूटर पर दिनांक 09.03.2015 से पूर्व कर दर अनुसूची-IV के अनुसार निश्चित थी, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे कम्प्यूटर नहीं मानकर जो करारोपण किया गया है वह अविधिक होने से अपास्तनीय है।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रथमतः उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले मोबाईल बैटरी चार्जर पृथक से विक्रय नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में उस पर ऐसेसरी के रूप में करारोपण किया जाना अविधिक है परन्तु यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के उनके द्वारा विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल बैटरी चार्जर की बिक्री पर एक ही विक्रय मूल्य मानते हुए उस पर करारोपण किया गया है जो प्रथम दृष्टया विधि के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक कम्पनी एवं मोबाईल के मॉडल अनुसार अलग-अलग कीमत से मोबाईल बैटरी चार्जर की बिक्री की जाती है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वैच्छा से एक ही विक्रय मूल्य निश्चित करते हुए जो करारोपण किया गया है वह अनुचित होने से अपास्त योग्य है।




लगातार.....4

8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन विक्रयों पर भी करारोपण कर दिया गया है जिसका विक्रय भारत के बाहर निर्यात के रूप में किया गया था जो करमुक्त विक्रय है परन्तु रेकॉर्ड एवं तथ्यों की जांच के बिना ही निर्यात की समस्त बिक्री पर करारोपण किया है जिसे निरस्त कर उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

9. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

11. उक्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से बिन्दुवार परीक्षण कर निर्णय पारित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

(1) अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक के जो कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, उनमें मोबाईल फोन के साथ में विक्रय किये गये बैटरी चार्जर की बिक्री पर वेट अधिनियम की कर अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 जिसमें उक्त पार्ट की प्रविष्टि संख्या 1 से 27 के अधीन दिये गये सभी प्रकार की वस्तुओं के पार्ट्स को प्रविष्टि संख्या 28 में 4 प्रतिशत से ही कर योग्य अधिसूचित किया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये समस्त कर निर्धारण आदेशों में बैटरी चार्जर को मोबाईल फोन का पार्ट मानते हुए उक्त अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 के तहत 4 प्रतिशत से ही कर योग्य माना गया था परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इंडिया प्रा0 लि0 के निर्णय दिनांक 17.12.2014 में मोबाईल बैटरी चार्जर को उसका पार्ट नहीं होना निर्णीत किया गया है एवं इसे मोबाईल फोन की एसेसरी होना निर्णीत किया गया है। इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे मोबाईल फोन का पार्ट नहीं होना मानते हुए अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 के तहत कर योग्य नहीं मानकर अवशिष्ट कर दर 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए करारोपण किया गया है। इसी बिन्दु पर समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों में कर बोर्ड द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय नोकिया इण्डिया (2005) 77 वी.एस.टी. 427 (एस.सी.) के निर्णय के आलोक में मोबाईल फोन के बैटरी चार्जर को एसेसरी माने जाने से एवं उक्त अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 28

में केवल पार्ट को ही सम्मिलित किये जाने एवं एसेसरी को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण इस पर 4 प्रतिशत की कर दर लागू नहीं की जा सकती एवं इसे अवशिष्ट कर दर से कर योग्य माना गया है ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं मोबाईल बैटरी चार्जर पर किये गये करारोपण को विधिसम्मत निर्णीत किया जाता है।

(2) अपीलार्थी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मोबाईल बैटरी चार्जर पर जो विक्रय मूल्य का आंकलन किया गया है वह सवैच्छा से अलग-अलग ब्राण्ड के मोबाईल बैटरी चार्जर पर एक ही विक्रय मूल्य मानते हुए अन्तर कर की गणना की गयी है, जबकि प्रत्येक कम्पनी एवं मोबाईल फोन के विक्रय मूल्यों के अनुसार अलग-अलग दरों से माल को विक्रय किया जाता है, ऐसी स्थिति में सभी मोबाईल बैटरी चार्जर की बिक्री को एक ही विक्रय मूल्य के आधार पर करारोपण किया जाना अनुचित होने से इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष में मोबाईल बैटरी चार्जर के मूल्यांकन की जांच उचित रूप से करते हुए एवं लेखा-पुस्तकों तथा खरीद बिलों से सत्यापन कर वास्तविक मूल्य का आंकलन करते हुए पुनः करारोपण करें। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्येक वर्ष में उचित साक्ष्यों के साथ यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि अलग-अलग मोबाईल बैटरी चार्जर के विक्रय मूल्य क्या रहें हैं, अतः इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(3) उक्त प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 में व्यवसायी द्वारा टेबलेट की की गई बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके द्वारा घोषित 4 प्रतिशत की बिक्री के स्थान पर 14 प्रतिशत की कर दर से करारोपण किया गया है, इस बिन्दु पर विचार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टेबलेट को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 65 के अधीन जारी पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 में अंकित कम्प्यूटर सिस्टम पर पैरिफेरल्स में टेबलेट को सम्मिलित नहीं मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत से कर दर को अस्वीकार किया गया, इस सम्बन्ध में इन प्रविष्टियों को यहां उद्धरित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

Entry No. 3 of Part-A Schedule-IV
(Before 06-03-2013)

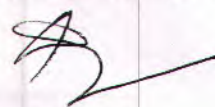
"Computer system & Paripherals [Computer printers excluding multifunctional devices] & electronic diaries."

लगातार.....6

(After 06-03-2013)

"Computer system & peripherals, Networking items for LAN & WAN incl. wire & wireless switch, routers, modem, webcams, IP Surveillance System, Computer Printers including multifunctional devices & electronic diaries."

दिनांक 09.03.2015 के अनुसार Computer System and peripherals excluding tablet computers known by whatever name like i-pad, e-book reader, phablet, slate etc. इसके पश्चात् दिनांक 09.03.2015 को ही कर अनुसूची-VI में अधिसूचना दिनांक एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2015-200 के जरिये प्रविष्टि संख्या 19 अंतस्थापित करते हुए Tablet computers known by whatever name like i-pad, e-book reader, phablet, slate etc. किया गया। उक्त अधिसूचना के पूर्व सर्वप्रथम यह परीक्षण करना उचित होगा कि टेबलेट सामान्य भाषा में विक्रय किये जाने वाले टेबलेट को कम्प्यूटर सिस्टम के अधीन माना जाना योग्य है अथवा नहीं। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों से यह प्रतीत होता है कि दोनों ही अवर अधिकारियों द्वारा टेबलेट को कम्प्यूटर नहीं मानने में जो अवधारणा ली गयी है, वह तथ्यों के विपरीत है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश के पृष्ठ संख्या 8 पर कम्प्यूटर एवं टेबलेट के बीच में तुलनात्मक अध्ययन का पूरा विवरण लिखते हुए अंत में यह निर्णीत किया है कि टेबलेट को कम्प्यूटर सिस्टम से भिन्न वस्तु माना जाता है, जबकि इस पूरे विवरण में यह तुलना की गयी है कि कम्प्यूटर सिस्टम कम्प्यूटर एवं टेबलेट के पॉवर, मूल्य, स्क्रीन साईज, पोर्टेबिलिटी इत्यादि गुणों पर भिन्नता है, जो उनके कार्य शक्तियों की भिन्नता को दर्शाता है परन्तु वे कम्प्यूटर सिस्टम के अलग-अलग निर्मित आइटम हैं। इस सम्बन्ध में अध्ययन से यह पाया कि कम्प्यूटर अपने आप में वृहद परिभाषा है जिसके तहत एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो विभिन्न डाटा को स्वीकार कर उनको प्रोसेस कर आउटपुट देते हुए एवं उसको स्टोर करने का भी कार्य करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कम्प्यूटर का कार्य करते हैं, वे अलग-अलग श्रेणियों में भी होते हैं, जिसमें डेस्कटॉप कम्प्यूटर में अधिक क्षमता होती है। इसी तरह से कम क्षमता के भी अलग-अलग आकारों के डिवाइस उपलब्ध हैं, जो लेपटॉप, नोटबुक, हाईब्रिड या टेबलेट के रूप में विक्रय किये जाते हैं, परन्तु वे मूलतः कम्प्यूटर सिस्टम का ही कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में विकिपिडिया पर दिये गये विवरण अनुसार Types of Computer में Personal Computer के अलावा लेपटॉप, टेबलेट, नोटबुक, हाईब्रिड को कम्प्यूटर बताया गया है। इस सम्बन्ध में चूंकि राज्य सरकार द्वारा ही दिनांक 09.03.2015 की कर अनुसूची में संशोधन

 लगातार.....7

कर यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 09.03.2015 के पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम में सम्मिलित होने वाले टेबलेट कम्प्यूटर जो किसी भी नाम से पुकारे जा सकते हैं, जिसमें i-pad, e-book reader, Phablet and slate को पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 से अलग करते हुए उस पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित करते हुए अनुसूची-VI के प्रविष्टि संख्या 19 पर उक्तानुसार अंकित किया गया है। इससे यह प्रमाणित है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2015 से पूर्व टेबलेट कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर सिस्टम में ही सम्मिलित रखा हुआ था, परन्तु दिनांक 09.03.2015 से टेबलेट कम्प्यूटर्स की अलग-अलग अवशिष्ट कर दर 14 प्रतिशत न रखकर 8 प्रतिशत अधिसूचित की गयी है। इससे यह प्रमाणित है कि दिनांक 09.03.2015 के पूर्व टेबलेट कम्प्यूटर्स 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य थे अतः दिनांक 09.03.2015 तक सभी तरह के कम्प्यूटर जिसमें टेबलेट, आई-पेड, ई-बुक रीडर आदि सम्मिलित हैं, वे अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार कर देय था। फलतः टेबलेट पर किये गये करारोपण को मय ब्याज के अपास्त किया जाता है।

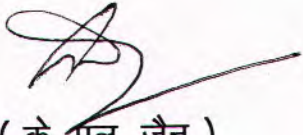
12. उक्तानुसार अपीलीय आदेश में मोबाईल बैटरी चार्जर पर पूर्ण कर दर से करारोपण को विधिसम्मत माना जाता है, परन्तु मोबाईल चार्जर के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है। इसके अलावा टेबलेट पर दिनांक 09.03.2015 के पूर्व किये गये पूर्ण कर दर से आरोपित कर मय ब्याज के अपास्त किया जाता है।

13. अपीलार्थी ने बताया कि एक्सपोर्ट की बिक्री पर भी करारोपण कर दिया गया है वह बिन्दु भी रेकॉर्ड एवं तथ्यों से जांच का विषय है, यदि व्यवसायी के बहियात से एक्सपोर्ट की बिक्री प्रमाणित होती है तो उसकी पुनः जांच कर नियमानुसार कर निर्धारण किया जावे।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य